रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229921 CG-DL-E-24092021-229921

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541] No. 541] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2021/आश्विन 2, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021/ASVINA 2, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 657(अ).—केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श से, अधिसूचना सा.का.नि. सं. 47 (अ), तारीख 24 जनवरी, 2020 की अनुपालना हेतु समय सीमा की छूट के लिए विभिन्न पणधारियों से प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों तथा कोविड-19 (अपरिहार्य घटना) के समाघात के कारण उद्योग को हो रही कठिनाइयों को विचार में लेते हुए, मामले की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

5406 GI/2021 (1)

क्र.सं.	उद्योग	मानदंड	अंतर्देशीय भू-पृष्ठ	पब्लिक मल नालियां	सिंचाई के लिए भूमि	समुद्री तटीय क्षेत्र
			जल		6	
		मिलि.ग्रा./1 में,				
		पीएच के सिवाय				
"57	चर्मशोधनशालाएं	निलंबित ठोस	100	00	200	100
		27º सेल्सियस पर 3 दिन बीओडी	30	350	100	100
		पीएच	6.0-9.0	6.0-9.0	6.0-9.0	6.0-9.0
		क्लोराइड (सी वन के रूप में)	1000	1000	200	-
		हैक्सावेलेंट क्रोमियम (सीआर+6)	0.1	0.2	0.1	1.0
		कुल क्रोमियम (सीआर के रूप में)	2.0	2.0	2.0	2.0
		सल्फाइड (एस के रूप में	2.0	5.0	-	5.0
		सोडियम प्रतिशत	-	60	60	-
		बोरोल (बी के रूप में)	2.0	2.0	2.0	-
		तेल और चिकनाई	10	20	10	20" ו

[फा.सं. क्यू-15017/44/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. सा.का.िन. 541(अ), तारीख 08 अगस्त, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

G.S.R. 657(E).—Whereas, considering the difficulties faced by the industry due to COVID-19 (Force Majeure) impact and objections and suggestions received from various stakeholders for relaxation of timelines for compliance of the notification G.S.R. 47(E) dated the 24th January, 2020 the matter was examined in detail by the Central Government in consultation with Central Pollution Control Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

- 1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, for serial number 57 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Industry	Parameters (in mg/l, except for pH	Inland Surface Waters	Public Sewers	Land for Irrigation	Marine Coastal areas
"57	Tanneries	Suspended Solids	100	00	200	100
		BOD 3 days at 27°	30	350	100	100
		pН	6.0-9.0	6.0-9.0	6.0-9.0	6.0-9.0
		Chlorides (as Cl)	1000	1000	200	-
		Hexavalent Chromium (Cr+6)	0.1	0.2	0.1	1.0
		Total Chromium (as Cr)	2.0	2.0	2.0	2.0
		Sulphides (as S)	2.0	5.0	-	5.0
		Sodium Percent	-	60	60	-
		Boron (as B)	2.0	2.0	2.0	-
		Oil & Grease	10	20	10	20".

[F. No. Q-15017/44/2007-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 541(E), dated the 8th August, 2021.